संख्या– 1402/79–6–2011

प्रेषक,

सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा (6) अनुभाग

दिनांकः 11-10-,2011

विषयः– मान्यता प्राप्त अनानुदानित विद्यालयों द्वारा निर्धारित शुल्क लिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समय–समय पर कक्षा 1–8 तक की शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु विद्यालयों को मान्यता आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाते हैं । शासनादेश संख्या– 442/79–6–2011 दिनांक 19 मई, 2011 द्वारा अशासकीय हिन्दी माध्यम के नर्सरी/प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता दिये जाने के संबंध में संशोधित मानक एवं शर्ते निर्धारित करते हुए बच्चों से शुल्क लिये जाने हेतु निम्नलिखित प्राविधान किया गया है:–

(च) मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों, एक लिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन का भुगतान, अध्यापक/कर्मचारी कल्याणकारी योजना अंशदान वहन करने के लिए पर्यात हो । इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो । शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी । शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है :–

1– शिक्षण शुल्क, 2– मंहगाई शुल्क, 3– विकास शुल्क, 4– बिजली पानी आदि , 5–पुस्तकालय एवं वाचनालय, 6– विज्ञान शुल्क, 7– श्रब्य शुल्क, 8– कीड़ा शुल्क, 9– परीक्षा/मूल्यांकन , 10–विद्यालय समारोह/उत्सव, 11– विशेष विषयों की शिक्षा– कम्पूयटर/संगीत आदि ।

नोटः– पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क आदि लेना वार्जित है । कैपीटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा ।

उपरोक्त के अतिरिक्त अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक/उच्च प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को मान्यता दिये जाने संबंधी संशोधित मानक एवं शर्ते शासनादेश संख्या– 437/79–6–2011 दिनांक 19 मई, 2011 द्वारा निर्धारित की गयी थी । शासनादेश के प्रस्तर–22 में शुल्क के निर्धारण की व्यवस्था निम्नवत् प्राविधानित की गयी है :–

22 शुल्कः–

मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों, एक लिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन का भुगतान, अध्यापक/कर्मचारी कल्याणकारी योजना अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो । इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो । शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी । शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है :–

1– शिक्षण शुल्क, 2– मंहगाई शुल्क, 3– विकास शुल्क, 4– बिजली पानी आदि , 5–पुस्तकालय एवं वाचनालय, 6– विज्ञान शुल्क, 7– श्रब्य शुल्क, 8– कीड़ा शुल्क, 9– परीक्षा/मूल्यांकन , 10–विद्यालय समारोह/उत्सव, 11– विशेष विषयों की शिक्षा– कम्पूयटर/संगीत आदि ।

नोटः– पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क आदि लेना वार्जित है । कैपीटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा ।

उपरोक्त के सन्दर्भ में यह निर्देशित किया जा रहा है कि आपके जनपद में निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित सभी विद्यालयों मे इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया जाय तथा यदि किसी स्तर पर इन निर्देशों का समुचित ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है, तो संबंधित विद्यालयों के विरूद्ध मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही करायी जाय।

भवदीय
अनिल संत
सचिव, बेसिक शिक्षा।

समसंख्यक एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 शिविर कार्यालय, लखनऊ।
2–अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
3–सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4–समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
5–समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव।